भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2145

उत्तर देने की तारीख : 20.12.2022

विदेश में अध्ययन हेतु अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

2145 श्रीमती शारदा अनिल पटेल:
श्री मितेष पटेल (बकाभाई):

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों (एससी) के छात्रों को विदेश में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु कितनी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान विदेश में अध्ययन के लिए भेजे गए अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या कितनी है; और
(ग) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम कार्यान्वित करता है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषक मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों की श्रेणी से संबंधित कम आय वाले छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा अर्थात् स्नातकोत्तर डिग्री अथवा पीएचडी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने और इसके द्वारा उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग): विगत पांच वर्षों के दौरान, एनओएस के अंतर्गत अध्ययन के लिए विदेश भेजे गए अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या और उपर्युक्त अवधि के दौरान आवंटित निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	छात्रों की संख्या	आवंटित निधियां (करोड़ रुपए में)	
			बी.ई.	आर.ई.
1	2017-18	24	15.00	15.00
2	2018-19	59	15.00	15.00
3	2019-20	62	20.00	20.00
4	2020-21	71	20.00	30.00
5	2021-22	106	30.00	35.00

***